



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2019/ज्येष्ठ 28, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2019/JYAISTHA 28, 1941

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2019

सं. 24-14/2018—(यू.जी. रेगुलेशन).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खण्ड (झ), (ज) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित और विनियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त भीर्षक, प्रारंभ एवं प्रयोजन.—(1) यह विनियम "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2019" कहा जाएगा।
- वे कार्यालय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- ये विनियम उन छात्रों पर लागू होंगे जिन्हें शैक्षिक सत्र (2019-2020) के प्रारंभ से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.), बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एस.एम.एस.), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.यू.एम.एस.) में प्रवेश दिया जाएगा।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), अनुसूची I में, विनियम 2 में, खंड (घ) में,—
 - उपखंड (iv) में, निम्नलिखित पैरा को प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—
"बशर्ते कि:—
(क) सरकारी तथा गैर सरकारी मानित विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय कोटा सौ प्रतिशत होगा।
(ख) उन विश्वविद्यालय एवं संस्थानों में, कोटे के रख रखाव हेतु जिसमें पहले से ही 15 प्रतिशत से अधिक अखिल भारतीय कोटा सीटें जारी रहेंगी।
(ग) सरकारी अथवा सरकारी अनुदानित संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत "राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा" की योग्यता सूची के आधार पर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानानुसार विकलांगता तल चिह्न रखने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा।

व्याख्या:—इस खंड के उद्देश्य हेतु, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की अनुसूची में निहित “विनिर्दिष्ट विकलांगता” इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट ‘क’ में विनिर्दिष्ट है तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति में पाठ्यक्रम जारी रखने हेतु विनिर्दिष्ट विकलांगता रखने वाले अभ्यर्थी की पात्रता इन विनियमों के परिशिष्ट ‘ख’ में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, तथा यदि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण किसी विशिष्ट श्रेणी में विकलांगों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो वे सीटें सम्बंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में सम्मिलित कर दी जाएंगी।

(ii) उपखंड (अ) हेतु, निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(v) (क) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, न्यास, सोसायटी, माइनोरिटी इन्स्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन अथवा कम्पनी द्वारा स्थापित संस्थानों को सम्मिलित करते हुए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विद्यमान समस्त आयुर्वेद शिक्षा संस्थानों में स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के कोटे हेतु काउंसलिंग के लिए नामित प्राधिकारी सम्बंधित राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के सम्बंधित नियमों एवं विनियमों के अनुसार सम्बंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र की सरकार, जैसा भी मामला हो, होगी।

(ख) समस्त मानित विश्वविद्यालयों, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों की सौ प्रतिशत सीटों हेतु बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में सभी प्रवेशों के लिए काउंसलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।”

3. उक्त विनियमों में, अनुसूची—ii में, विनियम 2 में, खंड (घ) में,—

(i) उपखंड (iv) में, निम्नलिखित पैरा प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

“बशर्ते कि:—

(क) सरकारी तथा गैर सरकारी मानित विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय कोटा सौ प्रतिशत होगा।

(ख) उन विश्वविद्यालय एवं संस्थानों में, कोटे के रख रखाव हेतु जिसमें पहले से ही 15 प्रतिशत से अधिक अखिल भारतीय कोटा सीटें जारी रहेंगी।

(ग) सरकारी अथवा सरकारी अनुदानित संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत “राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा” की योग्यता सूची के आधार पर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानानुसार विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा।

व्याख्या:—इस खंड के उद्देश्य हेतु, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की अनुसूची में निहित “विनिर्दिष्ट विकलांगता” इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट ‘क’ में विनिर्दिष्ट है तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति में पाठ्यक्रम जारी रखने हेतु विनिर्दिष्ट विकलांगता रखने वाले अभ्यर्थी की पात्रता इन विनियमों के परिशिष्ट ‘ख’ में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, तथा यदि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण किसी विशिष्ट श्रेणी में विकलांगों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो वे सीटें सम्बंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में सम्मिलित कर दी जाएंगी।

(ii) उपखंड (v) हेतु, निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(v) (क) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, न्यास, सोसायटी, माइनोरिटी इन्स्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन अथवा कम्पनी द्वारा स्थापित संस्थानों को सम्मिलित करते हुए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विद्यमान समस्त सिद्ध शिक्षा संस्थानों में स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के कोटे हेतु काउंसलिंग के लिए नामित प्राधिकारी सम्बंधित राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के सम्बंधित नियमों एवं विनियमों के अनुसार सम्बंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र की सरकार, जैसा भी मामला हो, होगी।

(ख) समस्त मानित विश्वविद्यालयों, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों की सौ प्रतिशत सीटों हेतु बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम में सभी प्रवेशों के लिए काउंसलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।”

4. उक्त विनियमों में, अनुसूची—iii में, विनियम 2 में, खंड (क) में, उपखंड (घ) में —

(i) मद (iv) में, निम्नलिखित पैरा प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

“बशर्ते कि:—

(I) सरकारी तथा गैर सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय कोटा सौ प्रतिशत होगा।

- (II) उन विश्वविद्यालय एवं संस्थानों में, कोटे के रख रखाव हेतु जिसमें पहले से ही 15 प्रतिशत से अधिक अखिल भारतीय कोटा सीटें जारी रहेंगी।
- (III) सरकारी अथवा सरकारी अनुदानित संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत "राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा" की योग्यता सूची के आधार पर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानानुसार विकलांगता तल चिह्न रखने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा।

व्याख्या:—इस खंड के उद्देश्य हेतु, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की अनुसूची में निहित "विनिर्दिष्ट विकलांगता" इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' में विनिर्दिष्ट है तथा भारतीय विकित्सा पद्धति में पाठ्यक्रम जारी रखने हेतु विनिर्दिष्ट विकलांगता रखने वाले अभ्यर्थी की पात्रता इन विनियमों के परिशिष्ट 'ख' में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, तथा यदि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण किसी विशिष्ट श्रेणी में विकलांगों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो वे सीटें सम्बंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में सम्मिलित कर दी जाएंगी।

(ii) मद (v) हेतु, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(v) (क) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, न्यास, सोसायटी, माइनोरिटी इन्स्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन अथवा कम्पनी द्वारा स्थापित संस्थानों को सम्मिलित करते हुए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विद्यमान समस्त यूनानी शिक्षा संस्थानों में स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के कोटे हेतु काउंसलिंग के लिए नामित प्राधिकारी सम्बंधित राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के सम्बंधित नियमों एवं विनियमों के अनुसार सम्बंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र की सरकार, जैसा भी मामला हो, होगी।

(II) समस्त मानित विश्वविद्यालयों, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों की सौ प्रतिशत सीटों हेतु बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में सभी प्रवेशों के लिए काउंसलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।"

परिशिष्ट "क"

(देखें अनुसूची I, II तथा III एवं विनियम 2)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (य ग) में संदर्भित "विनिर्दिष्ट दिव्यांगता" से संबंधित अनुसूची के अनुसार :—

1. शारीरिक दिव्यांगता—

क. गतिक विकलांगता (वात रोग अथवा तंत्रिका तंत्र अथवा दोनों की यातना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की अपने अथवा वस्तुओं की विशिष्ट गतिविधियों से जुड़े संचलन को कार्यान्वित करने की अक्षमता) निम्न को सम्मिलित करते हुए —

(क) "कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति" से तात्पर्य है व्यक्ति जो कि कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है परंतु निम्नलिखित से ग्रसित है—

- हाथ और पैरों में संवेदन की क्षति तथा संवेदन की क्षति तथा नेत्रों तथा पलकों में आंशिक पक्षाघात परंतु स्पष्ट विकृति न हो;
- स्पष्ट विकृति तथा आंशिक पक्षाघात परंतु उनके हाथों तथा पैरों में पर्याप्त गतिशीलता हो जिससे उन्हें सामान्य आर्थिक कार्यों में लगाने हेतु सक्षम बनाया जा सके;
- चर्म शारीरिक विकृति एवं बढ़ी उम्र जो व्यक्ति को किसी लाभदायक व्यवसाय को करने से रोके, तथा अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोग से मुक्त" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(ख) "प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से तात्पर्य है" गैर प्रगतिशील स्नायुविज्ञान विषयक परिस्थिति का समूह जो कि शारीरिक संचलन तथा मांसपेशीय समन्वय को प्रभावित करता है, मस्तिष्क के एक अथवा अधिक विशिष्ट भागों की क्षति के कारण होता है, प्रायः जन्म के पूर्व, के दौरान अथवा तुरंत बाद होता है;

(ग) "बौनापन" से तात्पर्य है एक चिकित्सीय अथवा अनुवांशिक स्थिति जिसमें एक वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) अथवा इससे कम हो;

(घ) "मांसपेशीय डिस्ट्रोफी" से तात्पर्य है अनुवांशिक मांसपेशीय रोग का समूह जो मानव शरीर को चलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है तथा एक से अधिक डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन्स में त्रुटिपूर्ण एवं लुप्त रचना होती है जो कि स्वस्थ मांसपेशीय हेतु उनके के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से उन्हें रोकती है। इसके लक्षण हैं प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल्स की कमजोरी, मांसपेशीय प्रोटीन में कमियां, तथा मांसपेशीय सेल एवं टिश्यूज का समाप्त हो जाना;

(ङ) "तेजाब के प्रहार से पीड़ित" से तात्पर्य है तेजाब अथवा उसके समान संक्षारक पदार्थ फेंक कर किये गए आक्रामक हमले के कारण विकृत एक व्यक्ति।

ख. दृष्टि क्षति —

(क) “नेत्रहीनता” से तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति, सबसे अच्छे सुधार के पश्चात् निम्न में से कोई एक स्थिति रखता हो —

- (i) दृष्टि की पूर्णतः अनुपस्थिति; अथवा
- (ii) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में 3/60 से कम अथवा 10/200 (स्नेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता।
- (iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण के सामने हो।

(ख) “निम्न दृष्टि” से तात्पर्य है, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति निम्न में से कोई एक स्थिति रखता हो—

- (i) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में 6/18 से अनधिक अथवा 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता।
- (ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक कम के कोण के सामने हो।

ग. श्रवण क्षति—

(क) “बहरा” एक व्यक्ति से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसके दोनो कानों की उच्चारण आवृत्ति श्रवण क्षमता 70 डीबी से कम हो।

(ख) “कम सुनाई देना” से तात्पर्य है जिसके दोनो कानों की उच्चारण आवृत्ति श्रवण क्षमता 60 डीबी से 70 डीबी कम हो।

घ. “वाक् एवं भाषा विकलांगता” से तात्पर्य है स्वरयंत्रछिद्रीकरण अथवा वाचाघात जो कि वाक् तथा भाषा को प्रभावित करने वाली जैविक अथवा तंत्रिका संबंधित स्थिति जिसके कारण स्थाई विकृत पैदा हो।

2. बौद्धिक विकलांगताएं, दोनों बौद्धिक कार्यप्रणाली की स्थिति जिसमें (तर्क, सीखने, समस्या समाधान करने) और अनुकूल व्यवहार जो प्रत्येक दिन की सीमाओं को शामिल करता है सामाजिक तथा प्रायोगिक कौशल, की चारित्रिक स्थिति व सीमाएं जिसमें शामिल हैं —

(क) “विशिष्ट ज्ञानाजन विकलांगता” विजातीय परिस्थिति समूह जिसमें बोलने अथवा लिखने में अथवा भाषा प्रसंस्करण की कमी पायी जाती है जिससे भाषा की बोध गम्यता, बोलने, लिखने, वर्तनी अथवा गणतीय गणना तथा सहित ऐसी परिस्थितियां जिसमें अवधारणात्मक विकलांगताएं, वाक् विकार (डिस्लेक्सिया), डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया तथा विकासात्मक मूकरोग शामिल हैं;

(ख) “आत्म विमोह स्पैक्ट्रम विकृति” से तात्पर्य है विकासात्मक तंत्रिका शोथ परिस्थिति से है जो कि

जीवन के प्रथम तीन वर्ष के दौरान प्रकट होती है तथा किसी व्यक्ति की संवाद, रिश्ते को समझने तथा अन्य संबंधित मामलों में तथा अक्सर असामान्य अथवा रूढ़िवादी रिवाजों अथवा व्यवहार से जुड़ा होता है।

3. मानसिक व्यवहार,— “मानसिक बीमारी” से तात्पर्य है विचार, मनोदशा, अवधारणा, उन्मुखीकरण अथवा स्मृति जो कि स्थूल रूप से नियंत्रित होती है, व्यवहार, वास्तविकता पहचानने की क्षमता अथवा जीवन की सामान्य मांगों को पूर्ण करने की क्षमता, किन्तु इसमें वह परिस्थितिक बाधा शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के मानसिक विकास को अवरोधित अथवा अधूरा विकास करती है, तथा जिसे विशेष रूप से बौद्धिक उप समानता द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।

4. निम्न के कारण उत्पन्न विकलांगता :—

(क) चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां, जैसे कि—

(i) ‘बहुल ऊतक दृढ़न’ से तात्पर्य है शोथ, माइलिन तंत्रिका कोशिका जो कि अक्षतंतु के चारों ओर स्थित है मस्तिष्क तथा मेरुदण्ड में की क्षति के कारण तंत्रिका तंत्र के रोग जिससे मस्तिष्क तथा मेरुदण्ड की एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता पर विघटनकारी प्रभाव पड़ते हैं;

(ii) “पार्किंसेन्जिम् रोग” से तात्पर्य है मांसपेशियों में कठोरता और धीमी, प्रभावशाली गतिशीलता, मध्यम वर्ग और बुजुर्ग लोगों से जुड़ी मस्तिष्क की बुनियादी गंडिका का अधःपतन का रोग तथा तंत्रिका संचरण डोपामीन का विघटन।

(ख) रक्त विकृतियां —

(i) “हीमोफीलिया” से तात्पर्य है एक अंतर्निहित रोग जिससे पुरुष प्रभावित होते हैं किन्तु महिला द्वारा यह रोग अपने पुरुष बच्चों को प्रेषित की जाती है। जिसे सामान्य रक्त जमाव क्षमता की कमी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिससे नवजातों में भयंकर रक्त श्राव हो सकता है।

(ii) “थैलिसिमिया” से तात्पर्य हिमोग्लोबिन की मात्रा की अनुपस्थिति की वंशानुगत विकारों का एक समूह।

(iii) "सिक्कल सैल रोग" से तात्पर्य है रक्त संबंधी विकृति जो कि संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण रक्तलापता, विदारक घटनाएं तथा विभिन्न जटिलताओं की स्थिति है। यह हीमोग्लोबीन में पुर्नजीवित लाल रक्त कोशिकाओं के ऊतक कोशिकाओं के विनाश की कोशिका कला को संदर्भित करता है।

5. मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं (ऊपर निर्दिष्ट विकलांगों में से एक से अधिक) बधिरता, अंधता सहित जो ऐसी परिस्थिति से तात्पर्य है जिसमें एक व्यक्ति को श्रवण और दृष्टि क्षति का संयोजन हो सकता है जिसमें गंभीर संचार, विकास और शैक्षणिक समस्याएं हो सकती हैं।

6. अन्य कोई वर्गीकरण जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हों।

परिशिष्ट - "ख"

(देखें अनुसूची I, II तथा III एवं विनियम 2)

बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. में दाखिले के संबंध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अन्तर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं" वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश

1. "विकलांगता का प्रमाणपत्र", भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड - (i) में संख्या सा.का.नि. 591(अ) दिनांक 15 जून, 2017 में प्रकाशित दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।
2. किसी व्यक्ति में "विशिष्ट विकलांगता" की सीमा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड -(ii) में संख्या का.आ. 76(अ) दिनांक 04 जनवरी, 2018 में प्रकाशित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए "किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार आंकी जाएगी।
3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (विकलांगता तल चिन्ह) होनी चाहिए।
4. "शारीरिक रूप से विकलांग" ("प्रा.वि.") शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति' (वि.व्य.) शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

5. तालिका

क्र. सं.	विकलांगता की श्रेणी	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				(5)		
				बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)			
1.	शारीरिक विकलांगता	क. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं सहित गतिक विकलांगता (क से च)	क. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति* ख. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात** ग. बौनापन घ. मांसपेशीय डिस्ट्रोफी ड. तेजाब के प्रहार से पीड़ित च. अन्य *** जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि	40% से कम विकलांगता	40-80% विकलांगता 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी, मामले के आधार पर, अनुमति प्राप्त होगी तथा उनकी कार्य करने की क्षमता का निर्धारण सहयोगी सयंत्र की सहायता से किया जाएगा, यदि इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो देखें कि क्या यह 80% के नीचे लाया गया है तथा क्या उन्हें संतोषजनक रूप से कोर्स करने तथा उसे पूरा करने हेतु यथा अपेक्षित पर्याप्त गतिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है।	80% से अधिक विकलांगता
				* ऊंगलियों, हाथों में संवेदन की क्षति, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्ग्रस्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तदनुसारी अनुसंधान देखी जानी चाहिए।		

			दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तदनुसारी अनुासाएं देखी जानी चाहिए। * बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।			
		ख. दृष्टि क्षति (*)	क. नेत्रहीनता	40% से कम विकलांगता (अर्थात् श्रेणी '0(10%)', 'I (20%)' और 'II (30%)')	—	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता (अर्थात् श्रेणी III और इससे ऊपर)
			ख. निम्न दृष्टि			
		ग. श्रवण क्षति @	क. बहरा	40% से कम विकलांगता	—	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता
			ख. कम सुनाई देना			
		(*) 40% से अधिक की दृष्टि क्षति/दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातक बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि दृष्टि विकलांगता को आधुनिक निम्न दृष्टि सहायक उपकरण जैसे कि टेलीस्कोप/मैग्नीफायर इत्यादि की सहायता से 40% के तल चिन्ह से कम के स्तर तक लाया जाए। @ 40% से अधिक की श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातक बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि श्रवण विकलांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के तल चिन्ह से कम के स्तर तक लाया जाए। इसके अलावा, व्यक्ति के पास 60% से अधिक का वाक् विवेक स्कोर होना चाहिए।				
		घ. वाक् एवं भाषा विकलांगताएं §	आर्गनिक/तंत्रीय कारण	40% से कम विकलांगता	—	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता
		§ यह प्रस्ताव दिया जाता है कि बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में पढ़ने का पात्र होने के लिए दाखिले हेतु वाक् बुद्धिमत्ता प्रभावित (एस आई ए) स्कोर 3 से अधिक नहीं होगा। (जो कि 40% से कम होगी)। इस स्कोर से अधिक वाले व्यक्ति बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस.पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र नहीं होंगे। 40% तक वाचाघात लब्धि वाले व्यक्ति बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र हो सकते हैं परंतु इसके अधिक वे न तो बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र होंगे और न ही उन्हें कोई आरक्षण प्राप्त होगा।				
2.	बौद्धिक विकलांगता		क. विाष्टि ज्ञानार्जन विकलांगताएं (बोधात्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया डिस्केलकुलिया डिस्प्रैक्सिया और विकासात्मक एल्फासिया) #	# वर्तमान में एसपीएलडी की गंभीरता आंकने के लिए कोई मात्राकरण पैमाना नहीं है, इसलिए 40% का कट ऑफ, मनमाना है और इसके लिए अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है। 40% से कम विकलांगता	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता—परंतु चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/उपकरणों/विाष्टि पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	80% से अधिक या गंभीर स्वरूप या पर्याप्त संज्ञानात्मक/बौद्धिक विकलांगता
			ख. आत्म-विमोह स्पैक्ट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता असंयोजन सिंड्रोम (आईएसए) के अनुसार 40% - 60% विकलांगता,	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां	60% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/बौद्धिक विकलांगता की मौजूदगी और/या यदि व्यक्ति को

				जहाँ व्यक्ति को किसी विधिषज्ञ पैनल द्वारा बी.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. के लिए उपयुक्त माना जाता है।	विकसित कर लिए जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता है।	विधिषज्ञ पैनल द्वारा बी.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है।
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता: 40% से कम (आईडीईएस के अंतर्गत)	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियाँ विकसित कर लिए जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी इयूटियाँ करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। "मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस" की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाएँ जिनका जैसे कि भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
4.	आगे उल्लेखित के कारण विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ	i. बहुल ऊतक दृढ़न	40% से कम विकलांगता	40% - 80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. पार्किनसोनिज्म			
		ख. रक्त विकृतियाँ	i. हीमोफीलिया ii. थैलसीमिया iii. सिक्ल सैल रोग	40% से कम विकलांगता	40% - 80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	<p>उपर्युक्त में किसी की मौजूदगी के संबंध में अलग अलग मामलों की अनुसंधानों में निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी नामतः बहुल विकलांगता के एक घटक के रूप में दृष्टि, श्रवण, वाक् और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता पर विचार किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक असमर्थकारी स्थिति मौजूद है, उत्पन्न होने वाली विकलांगता की संगणना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजनकारी फार्मूले की अनुसंधान की जाती है</p> <p style="text-align: center;">$\frac{क+ख (90-क)}{90}$</p> <p>(जहाँ क = विकलांगता के % का उच्च मूल्य और ख = विकलांगता के % का निम्न मूल्य जो भिन्न-भिन्न विकलांगताओं के लिए परिकलित किया गया हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुल विकलांगताओं वाले मामलों में किया जाए और व्यक्ति विधिष के मामले में मौजूद विनिर्दिष्ट विकलांगताओं के अनुसार दाखिले और/या आरक्षण के संबंध में अनुसंधान की जाए।</p>		

टिप्पणी : शारीरिक विकलांग श्रेणी के अन्तर्गत चयन के लिए, अभ्यर्थी को उनकी काउंसलिंग की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व भारत सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी एक विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

के.नटराजन, निबन्धक-सह-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./98/19]

टिप्पणी : प्रधान नियमावली भारत का राजपत्र, भाग-III, धारा-4, में संख्या 8-3/86-रेग., दिनांक 31 मई, 1986 के द्वारा, प्रकाशित की गई थी तथा इसे अंतिम बार अधिसूचना फ. संख्या 24-14/2018 (यू.जी. रेगुलेशन), दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 के द्वारा संशोधित किया गया था।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2019

F. No. 24-14/2018 (UG Regulation).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall apply to students who shall be admitted for Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.), Bachelor of Siddha Medicine and Surgery (B.S.M.S.) and Bachelor of Unani Medicine and Surgery (B.U.M.S.) from the commencement of the academic session (2019-2020).

2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986 (hereinafter referred to as the said regulations), in Schedule-I, in regulations 2, in clause (d),-

(i) in sub-clause (iv), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that-

- (A) The all India quota for admission in the Government and Private Deemed Universities shall be hundred per cent.;
- (B) those Universities and Institutes which are already having more than fifteen per cent. All India quota seats shall continue to maintain that quota.
- (C) five per cent. of the annual sanctioned intake capacity in Government or Government-aided Institutions shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), based on the merit list of ‘National Eligibility Entrance Test’.

Explanation.—For the purposes of this clause, the “Specified Disability” contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016) is specified in Appendix ‘A’ annexed to these regulations and the eligibility of candidates to pursue a course in Indian systems of medicine with specified disability shall be in accordance with the guidelines specified in Appendix ‘B’ to these regulations, and if the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective category.”;

(ii) for sub-clause (v), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(v) (A) The designated authority for counseling of States and Union territories quota for admissions to under-graduate course in all Ayurveda educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(B) The counseling for all admission to B.A.M.S. Course for hundred per cent. Seats of all Deemed Universities both Government and private shall be conducted by the authority designated by the Central Government.”.

3. In the said regulations, in Schedule-II, in regulation 2, in clause (d),-

(i) in sub-clause (iv), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that-

- (A) the all India quota for admission in the Government and Private Deemed Universities shall be hundred per cent.;
- (B) those Universities and Institutes which are already having more than fifteen per cent. All India quota seats shall continue to maintain that quota.
- (C) five per cent. of the annual sanctioned intake capacity in Government or Government-aided Institutions shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), based on the merit list of ‘National Eligibility Entrance Test’.

Explanation.—For the purposes of this clause, the “Specified Disability” contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) is specified in Appendix ‘A’ annexed to these regulations and the

eligibility of candidates to pursue a course in Indian systems of medicine with specified disability shall be in accordance with the guidelines specified in Appendix 'B' to these regulations, and if the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective category.”;

(ii) for sub-clause (v), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(v) (A) The designated authority for counseling of States and Union territories quota for admissions to under-graduate course in all Siddha educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(B) The counseling for all admission to B.S.M.S. Course for hundred per cent. Seats of all Deemed Universities both Government and private shall be conducted by the authority designated by the Central Government.”.

4. In the said regulations, in Schedule-III, in regulation 2, in clause (A), in sub-clause (d),-

(i) in item (iv), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that-

(I) the all India quota for admission in the Government and Private Deemed Universities shall be hundred per cent.;

(II) those Universities and Institutes which are already having more than fifteen per cent. All India quota seats shall continue to maintain that quota.

(III) five per cent. of the annual sanctioned intake capacity in Government or Government-aided Institutions shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), based on the merit list of 'National Eligibility Entrance Test'.

Explanation.-For the purposes of this clause, the “Specified Disability” contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016) is specified in Appendix 'A' annexed to these regulations and the eligibility of candidates to pursue a course in Indian systems of medicine with specified disability shall be in accordance with the guidelines specified in Appendix 'B' to these regulations, and if the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective category.”;

(ii) for item (v), the following item shall be substituted, namely:-

“(v) (I)The designated authority for counseling of States and Union territories quota for admissions to under-graduate course in all Unani educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union Territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(II) The counseling for all admission to B.U.M.S. Course for hundred per cent. seats of all Deemed Universities both Government and private shall be conducted by the authority designated by the Central Government.”.

Appendix “A”

[See Schedules I, II and III and regulation 2 thereof]

SCHEDULE relating to “SPECIFIED DISABILITY” referred to in clause (zc) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016), provides as under:-

1. Physical disability.—

A. Loco motor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue; (e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment—

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200(Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

(ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

C. Hearing impairment -

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

D. "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematic calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,— "mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by sub normality of intelligence.

4. Disability caused due to—

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterized by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the Central Government.

Appendix "B"

[See Schedules I, II and III and regulation 2 thereof]

Guidelines regarding admission of students, with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), in B.A.M.S./B.S.M.S./ B.U.M.S.

1. The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 591(E), dated the 15th June, 2017.
2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)", published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 76 (E), dated the 4th January, 2018.
3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
4. The term 'Persons with Disabilities' (PwD) is to be used instead of the term 'Physically Handicapped' (PH)

5.TABLE

Sl. No.	Disability category	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	Eligible for B.A.M.S./ B.S.M.S. / B.U.M.S. Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for B.A.M.S./ B.S.M.S./B.U.M.S. Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for B.A.M.S./ B.S.M.S./ B.U.M.S. Course
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability, including Specified Disabilities (a to f).	a. Leprosy cured person*	Less than 40% disability	40-80% disability	More than 80%
			b. Cerebral Palsy**			
			c. Dwarfism			
			d. Muscular Dystrophy			
			e. Acid attack victims			
			f. Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.			

			<p>* Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at.</p> <p>** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at.</p> <p>*** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. course</p>			
	B. Visual Impairment (*)	a. Blindness				Equal to or More than 40% Disability (i.e. Category III and above)
		b. Low vision	Less than 40% disability (i.e. Category '0 (10%)', 'I (20%)' & 'II (30%)')	-		
	C. Hearing impairment @	a. Deaf				Equal to or more than 40% Disability
			Less than 40% Disability	-		
		b. Hard of hearing				
		<p>(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. Education and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier etc.</p> <p>@ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. Education and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices.</p> <p>In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.</p>				
	D. Speech & language disability §	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability			Equal to or more than 40% Disability
	<p>§ It is proposed that for admission to B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. course the Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (Which will correspond to less than 40%) to be eligible to pursue the B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. course. The individuals beyond this score will not be eligible for admission to the B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. course.</p> <p>Persons with an Aphasia Quotient (AQ) upto 40% may be eligible to pursue B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. course but beyond that they will neither be eligible to pursue the B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. course nor will they have any reservation.</p>					
2.	Intellectual disability	a. Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.			

				Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the Expert Panel	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability
			b. Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of 40- 60% as per ISAA) where the individual is deemed fit for B.A.M.S./ B.S.M.S./B.U.M.S. course by an expert panel	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is deemed unfit for pursuing B.A.M.S./B.S.M.S./ B.U.M.S. course by an expert panel
3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability; less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is deemed unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Parkinsonism			
		b. Blood Disorders	i. Haemophilia	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Thalassemia			
			iii. Sickle cell disease			
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech & Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability. Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India $\frac{a + b (90-a)}{90}$ (where a= higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities) is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual		

Note : For selection under PwD category, candidates will be required to produce Disability Certificate before their scheduled date of counseling from one of the disability assessment boards as designated by concerned Authority of Government of India.

K. NATARAJAN, Registrar-Cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./98/19]

Note : The Principal regulations were published in the Gazette of India, Part-III, Section-4, vide number 8-3/86-Regl., dated the May 31, 1986 and were last amended vide notification F. No. 24-14/2018 (UG Regulation), dated the 7th December, 2018.

स्पष्टीकरण—स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रतिशतक का निर्धारण 'राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा' में अखिल भारतीय सामूहिक योग्यता सूची में उच्चतम प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि संबंधित श्रेणियों में किसी शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित उपर्युक्त विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में उचित संख्या में अभ्यर्थी, निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हों, तो केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय परिषद् के साथ परामर्श कर अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंको को कम करने का निर्णय ले सकती हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे कम किए गए अंक मात्र उसी शैक्षणिक वर्ष हेतु मान्य होंगे।

(ग) सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में, वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5: सीटें; 'राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा' की मेरिट सूची के आधार पर, दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के उपबंधों के अनुसार बैचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए, दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) में दी गई 'विशिष्ट विकलांगता' परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है और होम्योपैथी चिकित्सा पाठ्यक्रम में पढ़ने हेतु विकलांगता वाले अभ्यर्थियों की पात्रता, परिशिष्ट 'द' के अनुसार होगी और यदि किसी श्रेणी विशेष में, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें, अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती हैं, तो इन सीटों को संबंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल कर लिया जाएगा।

(iii) अखिल भारतीय योग्यता सूची के साथ-साथ पात्र अभ्यर्थियों की राज्यवार योग्यता सूची, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी और सम्बंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को केवल योग्यता सूचियों के आधार पर ही स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों तथा निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा पंद्रह प्रतिशत एवं राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का कोटा पचासी प्रतिशत होगा।

परन्तु यह कि किसी मानित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये सीट मैट्रिक्स सौ प्रतिशत होगा तथा जिन विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में पहले से ही अखिल भारतीय कोटा पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा है, वहाँ अखिल भारतीय सीट कोटा यथावत बना रहेगा।

(v) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसाइटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम अथवा कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के सभी होम्योपैथिक शिक्षण संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम में राज्य एवं संघशासित प्रदेश के पचासी प्रतिशत कोटा में प्रवेश के लिए परामर्श हेतु नामित प्राधिकारी संबंधित राज्य एवं संघशासित प्रदेश के संबंधित नियमों तथा विनियमों के अनुसार, जैसा भी मामला, उक्त राज्य एवं संघशासित प्रदेश होंगे।

(vi) अखिल भारतीय कोटा के सीटों के साथ साथ केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सभी होम्योपैथी शिक्षण संस्थानों तथा मानित विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परामर्श, केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया जायेगा।

(vii) कोई भी अभ्यर्थी जोकि उपर्युक्त निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(viii) प्रवेश के सम्बन्ध में इन विनियमों द्वारा निर्धारित मानदंड अथवा प्रक्रिया के उल्लंघन में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए कोई भी प्राधिकारी अथवा संस्था किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं देगा तथा उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन कर प्रवेशित अभ्यर्थी को केन्द्रीय परिषद् द्वारा अविलंब हटा दिया जायेगा।

(ix) प्राधिकारी अथवा संस्थान यदि किसी भी छात्र को उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश प्रदान करती है, तो उनके विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

(x) विदेशी नागरिकता वाले अभ्यर्थियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष योग्यता की अनुमति दी जा सकती है तथा विदेशी नागरिकता के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा अर्थात् राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) लागू नहीं होगी।

(xi) एक अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य होगा यदि वह विनियम 4 के अंतर्गत उल्लेखित कोई योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

परन्तु यह कि किसी ऐसे अभ्यर्थी, जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठा है, जिसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है, को राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति अस्थाई रूप से दी जा सकती है और बीएचएमएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए चयन हो जाने की स्थिति में उसे उस पाठ्यक्रम में दाखिल नहीं किया जाएगा, जब तक वह विनियम 4 के अंतर्गत पात्रता मापदंड पूरा नहीं कर लेता।

3. उक्त विनियमों में परिशिष्ट 'ब' के पश्चात परिशिष्ट—'स' व 'द' को जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

परिशिष्ट 'स'

(विनियम 4अ देखें)

धारा 2 के "विनिर्दिष्ट विकलांगता" खंड (य ज्ञ) के संबंध में, एक अनुसूची संलग्न है, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

1. शारीरिक विकलांगता

क. गतिक विकलांगता (मस्कुलोस्केलेटल या स्नायु तंत्र या दोनों की वेदना के परिणामस्वरूप स्वयं के चलने-फिरने और वस्तुओं को लाने-ले जाने से संबद्ध भिन्न-भिन्न क्रियाकलाप करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता), जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) 'कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ति' का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति, जिसको कुष्ठरोग मुक्त कर दिया गया है, परंतु वह निम्नलिखित से पीड़ित है:
- (i) हाथों या पैरों में संवेदन की क्षति या आंख तथा आंख के पलक में आंशिक घात, परंतु विरूपता की कोई अभिव्यक्ति नहीं;
- (ii) अभिव्यक्त विरूपता और आंशिक घात, परंतु सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप में लगने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिकता;
- (iii) अत्यधिक शारीरिक विरूपता और अधिक आयु, जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकती है और "कुष्ठरोग मुक्त" अभिव्यक्ति को तदनुसार माना जाएगा।

(ख) "प्रमस्तिष्काघात" का अर्थ है - आमतौर पर जन्म से पहले, के दौरान या जन्म के शीघ्र पश्चात् होने वाले, मस्तिष्क के एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में क्षति द्वारा पहुंचा, शरीर को हिलाने-डुलाने और मांसपेशी समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगामी तंत्रिकाविज्ञान संबंधी दशा का एक समूह;

(ग) "बौनापन" का अर्थ है - एक चिकित्सीय या वंशागत दशा, जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति का कद 4 फुट 10 इंच (147 सें.मी.) या इससे कम हो;

(घ) "मस्कुलर डिसट्राफी" का अर्थ है - आनुवांशिक जेनेटिक मांसपेशीय रोगों का एक समूह, जो उन मांसपेशियों को कमजोर बना देता है जो मानव शरीर को चलायमान रखती हैं और बहुल डिसट्राफी वाले व्यक्तियों में उनके जीन्स में गलत और गायब सूचना होती है जो उन्हें वह प्रोटीन बनाने से रोकती है, जो स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। इसके कारण प्रगामी स्केलेटल मांसपेशी की कमजोरी, मांसपेशीय प्रोटीन में दोष और मांसपेशीय कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु हो जाती है;

(ग) "ऐसिड प्रहार से पीड़ित व्यक्ति" का अर्थ है - ऐसिड या इसी प्रकार के क्षयकारी पदार्थ फेंकने द्वारा हिंसात्मक प्रहारों के कारण विरूपित कोई व्यक्ति।

ख. दृष्टि बाधिता-

(क) "नेत्रहीनता" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति, जहां किसी व्यक्ति की स्थिति सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् निम्नलिखित स्थितियों में से कोई हो:

- (i) दृष्टि का पूर्ण अभाव; या
- (ii) सर्वोत्तम संभावित सुधार के साथ बेहतर आंख में 3/60 के कम या 10/200 (स्नेलन) से कम चाक्षुक तीक्ष्णता; या
- (iii) 10 डिग्री से कम का एंगल अंतरित करने वाली दृष्टि की फील्ड की सीमा।

(ख) "निम्न दृष्टि" का अर्थ है - एक ऐसी स्थिति, जहां किसी व्यक्ति की निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति हो, नामतः:

- (i) सभी संभावित सुधारों के साथ बेहतर आंख में 6/18 से अधिक चाक्षुक तीक्ष्णता न हो या 20/60, 3/60 से कम चाक्षुक तीक्ष्णता हो या 10/200 तक (स्नेलन) हो।
- (ii) 10 डिग्री तक 40 डिग्री से कम का एंगल अंतरित करने वाली दृष्टि की फील्ड की सीमा।

ग. श्रवण क्षति -

(क) "बधिर" का अर्थ है - दोनों कानों में वाणी बारंबारताओं में 70 डीबी श्रवण क्षति वाले व्यक्ति;

(ख) "कम सुनने वाला" का अर्थ है - दोनों कानों में वाणी बारंबारताओं में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण क्षति वाला व्यक्ति;

घ. "वाणी एवं भाषा विकलांगता" का अर्थ है - स्वरयंत्रउच्छेदन या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न एक स्थायी विकलांगता, जो आंगिक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाणी और भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती हो।

2. बौद्धिक विकलांगता, एक ऐसी स्थिति, जो बौद्धिक कार्यचालन (तर्कसंगतता, ज्ञानार्जन, समस्या का समाधान करना) और ग्रहणशील व्यवहार दोनों में पर्याप्त सीमा वाली हो, जो दिन-प्रति दिन के सामाजिक और व्यावहारिक कौशलों की एक रेंज कवर करती हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) "विशिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगता" का अर्थ है — स्थितियों का एक विजातीय समूह, जिसमें भाषा, बोली जाने वाली या लिखित का प्रोसेसिंग करने में कमी है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या अंकगणितीय परिकलन करने में कठिनाई के रूप में अपने आपको अभिव्यक्त कर सकती है और इसमें अवधारणात्मक विकलांगताएं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रॉक्सिया और विकासात्मक बाधाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं।

(ख) "आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकृति" का अर्थ है — एक तंत्रिका विकासात्मक स्थिति, जो विशेष रूप से जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो संप्रेषित करने, संबंधों को समझने की किसी व्यक्ति की योग्यता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और अन्य से भी संबंधित है तथा यह असामान्य या एक ही प्रकार की विधियों या व्यवहारों के साथ निरंतर जुड़ी हुई है।

3. मानसिक व्यवहार — "मानसिक रोग" का अर्थ है — विचार करने, मनोवृत्ति, अवधारणा, अभिमुखीकरण या स्मरण शक्ति की एक पर्याप्त विकृति जो जीवन की सामान्य मांगें पूरी करने की योग्यता या वास्तविकता समझने के लिए निर्णय, व्यवहार, क्षमता को काफी क्षति पहुंचाती है, परंतु इसमें ऐसी मंदबुद्धिता शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अपूर्ण विकास या समाप्त करने की एक स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता द्वारा प्रदर्शित होती है।

4. निम्नलिखित के कारण विकलांगता—

(क) चिरकालिक तंत्रिका-विज्ञान संबंधी स्थितियां, जैसे—

(i) "बहुल ऊतक काठिन्य" का अर्थ है — सूजन, स्नायु तंत्र रोग जिसमें मस्तिष्क एवं मेरुदंड के आसपास की स्नायु की कोशिकाओं के अक्षतंतुओं के आसपास की कवक-जाल क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप विसैन्यीकरण हो जाता है और एक-दूसरे के साथ संप्रेषण करने के लिए मस्तिष्क और मेरुरज्जु में स्नायु कोशिकाओं की योग्यता प्रभावित होता है।

(ii) "पार्किन्सन रोग" का अर्थ है — कंपन्न, मांसपेशीय कठोरता और धीमापन, इम्प्रेसाइज मूवमेंट से पहचाने जाने वाला स्नायु तंत्र का एक प्रगामी रोग, जो मुख्यतः अर्धे आयु के व्यक्तियों और वृद्धजनों को प्रभावित करता है जोकि मस्तिष्क की बेसल गंगलिया को कमजोर करने और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन की कमी से संबंधित है।

(ख) रक्त विकृति —

(i) "अधिरक्तस्राव" का अर्थ है — एक आनुवंशिक रोग, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, परंतु उनके पुरुष बच्चों में महिलाओं द्वारा संक्रमित होता है, जिसके कारण रक्त की जमने की सामान्य क्षमता नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप अवयस्क व्यक्तियों में घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) "थैलासीमिया" का अर्थ है — आनुवंशिक विकृतियों का एक समूह, जिसके कारण हिमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है या उसका अभाव हो जाता है;

(iii) "सिक्कल सेल रोग" का अर्थ है — एक हिमोलिटिक विकृति, जिसके कारण चिरकालिक रक्ताल्पता, दर्द वाली स्थितियां हो जाती हैं और संबद्ध ऊतक तथा अंगों की क्षति के कारण विभिन्न जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं; "हिमोलाइटिक; लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली के नष्ट होने से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप हिमोग्लोबिन स्ट्राव हो जाता है।

5. बधिरता, अंधापन सहित बहुल-विकलांगताएं (उपर्युक्त विशिष्टीकृत विकलांगताओं में से एक से अधिक), जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति, जिसमें किसी व्यक्ति को श्रवण और चाक्षुक क्षतियों का संयोजन हो सकता है जिसके कारण गंभीर संप्रेषण, विकासात्सक और शैक्षणिक समस्याएं हो सकती हैं।

6. कोई अन्य श्रेणी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

टिप्पणी : आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची में होने वाले किसी संशोधन के परिणामस्वरूप उपर्युक्त अनुसूची में संशोधन हो जाएगा।

परिशिष्ट-द

(विनियम 4 अ देखें)

बी0एच0एम0एस0 में दाखिले हेतु 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत " विशिष्ट विकलांगता" हेतु मार्ग दर्शिका ।

टिप्पणी:-

1. 'विकलांगता का प्रमाणपत्र', 15 जून, 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तिकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा ।
2. किसी व्यक्ति में 'विशिष्ट विकलांगता' की सीमा, 5 जनवरी, 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तिकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश' के अनुसार आंकी जाएगी ।
3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (बैंचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए ।
4. 'शारीरिक रूप से विकलांग' (शा.वि.) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति (वि.व्य.)' शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा ।

क्र. स.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
1.	शारीरिक विकलांगता	क. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं सहित गतिक विकलांगता (क से च)	क. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति*	40: से कम विकलांगता	40-80: विकलांगता	80: से अधिक विकलांगता
			ख. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात**			
			ग. बौनापन			
			घ. मांसपेशीय डिस्ट्राफी			
			ड. तेजाब के प्रहार से पीड़ित			
			च. अन्य*** जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि			
			*ऊंगलियों, हाथों में संवेदन की क्षति, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्ग्रस्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तदनुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। **दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तदनुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। ***चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनाओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।			
		ख. दृष्टि क्षति (*)	क. नेत्रहीनता ख. निम्न दृष्टि	40% से कम विकलांगता (अर्थात् श्रेणी '0(10%)', 'I (20%)' और 'II (30%)'	—	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता (अर्थात् श्रेणी III और इससे ऊपर

		ग.श्रवण क्षति @	क. बहरा ख. कम सुनाई देना	40% से कम विकलांगता	—	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता
			<p>(*) 40% से अधिक की दृष्टि क्षति/दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातक चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि दृष्टि विकलांगता को आधुनिक निम्न दृष्टि सहायक उपकरण जैसे कि टेलीस्कोप/मैग्रीफायर इत्यादि की सहायता से 40% के बैचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए।</p> <p>(@) 40% से अधिक की श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातक चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि श्रवण विकलांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के बैचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए। इसके अलावा, व्यक्ति के पास 60% से अधिक का वाक् विवेक स्कोर होना चाहिए।</p>			
		घ. वाक् एवं भाषा विकलांगताएं \$	आर्गनिक/तंत्रिय कारण	40% से कम विकलांगता	—	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता
			<p>\$ यह प्रस्ताव दिया जाता है कि बीएचएमएस पाठ्यक्रम में पढ़ने का पात्र होने के लिए दाखिले हेतु वाक् बुद्धिमत्ता प्रभावित (एस आई ए) स्कोर 3 से अधिक नहीं होगा। इस स्कोर से अधिक वाले व्यक्ति बीएचएमएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>40% तक वाचाघात लब्धि वाले व्यक्ति बीएचएमएस पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र हो सकते हैं, परंतु इसके अधिक वे न तो बीएचएमएस पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र होंगे और न ही उन्हें कोई आरक्षण प्राप्त होगा।</p>			
2.	बौद्धिक विकलांगता		क. विशिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगताएं (बोधात्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्राक्सिया और विकासात्मक अफासिया) #	# वर्तमान में एसपीएलडी की गंभीरता आंकने के लिए कोई मात्राकरण पैमाना नहीं है, इसलिए 40% का कट ऑफ, मनमाना है और इसके लिए अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।	40% से कम विकलांगता	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता—परन्तु चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/उपकरणों/विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।
			ख.आत्म-विमोह स्पैक्ट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता अस्पष्ट/सिंड्रोम (आई. एस.ए.ए.) के अनुसार 40%—60% विकलांगता, जहां व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता है।	60% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/बौद्धिक विकलांगता की मौजूदगी और/या यदि व्यक्ति को विशेषज्ञ पैनल द्वारा बीएचएमएस पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए

				बीएचएमएस के लिए उपयुक्त माना जाता है।		अनुपयुक्त पाया जाता है।
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता: 40% से कम (आई.डी.ई.ए. एस. के अंतर्गत)	मनिसक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी ड्यूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाए जिनका जैसे कि भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
4.	आगे उल्लेखित के कारण विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	i. बहुत ऊतक दृढ़न	40% से कम विकलांगता	40%.80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. पार्किन्सोनिज्म			
		ख. रक्त विकृतियां	i. हीमोफीलिया	40% से कम विकलांगता	40%.80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. थैलसीमिया			
			iii. सिक्ल सैल रोग			
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	<p>उपर्युक्त में किसी की मौजूदगी के संबंध में अलग अलग मामलों की अनुशंसाओं में निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी नामतः बहुल विकलांगता के एक घटक के रूप में दृष्टि, श्रवण, वाक् और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता पर विचार किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक असमर्थकारी स्थिति मौजूद है, उत्पन्न होने वाली विकलांगता की संगणना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजनकारी फार्मूले की अनुशंसा की जाती है:</p> $\frac{\text{क+ख (90-क)}}{90}$ <p>(जहां क = विकलांगता के % का उच्च मूल्य और ख = विकलांगता के % का निम्न मूल्य जो भिन्न-भिन्न विकलांगताओं के लिए परिकलित किया गया हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुल विकलांगताओं वाले मामलों में किया जाए और व्यक्ति विशेष के मामले में मौजूद विशिष्ट विकलांगताओं के अनुसार दाखिले और/या आरक्षण के संबंध में अनुशंसा की जाए।</p>		

टिप्पणी:— मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग—III खण्ड 4, में सं. 7-1/83/के.हो.प. दिनांक 11 मई, 1983 तथा अंतिम अधिसूचना संख्या 12-13/2006-के.हो.प.(पार्ट-V) दिनांक 14 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

[यदि होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) संशोधन विनियम, 2019 के हिन्दी/अंग्रेजी संस्करण में कोई कमी पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।]

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2019

No. 12-13/2006-CCH(Pt.VI).— In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 33 read with sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Homoeopathy (Degree Course) Amendment Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These regulations shall apply to students who shall be admitted for B.H.M.S. course from the commencement of the academic session (2019-2020).

2. In the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983 (hereinafter referred to as the said regulations), the regulation 4A, shall be substituted, namely:-

“4A. Criteria for Selection of students - (i) There shall be a uniform entrance examination to all medical institutions at the under-graduate level, namely, the ‘National Eligibility Entrance Test’ (NEET) for admission to under-graduate course in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Central Government.

(ii) In order to be eligible for admission to under-graduate course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the ‘National Eligibility Entrance Test’ for under-graduate course held for the said academic year:

Provided that in respect of-

(a) candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile.

(b) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile for general category and 40th percentile for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Explanation.—The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the all India common merit list in the ‘National Eligibility Entrance Test’ for under-graduate courses:

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the ‘National Eligibility Entrance Test’, as specified above, held for any academic year for admission to under-graduate courses, the Central Government in consultation with Central Council may at its discretion lower the minimum marks required for admission to under-graduate course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

(c) five percent of the annual sanctioned intake capacity in Government or Government-aided higher educational institutions shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), based on the merit list of ‘National Eligibility-cum-Entrance Test’.

Explanation.— For this purpose the “Specified Disability” contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), is annexed in Annexure ‘C’ and the eligibility of candidates to pursue a course in homoeopathic medicine with specified disability shall be in accordance with Annexure ‘D’ and if the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective Category.

(iii) An all India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the ‘National Eligibility Entrance Test’ and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to under-graduate course from the said merit lists only.

(iv) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institutions and Private Institutions shall be fifteen percent for the all India quota and eighty-five percent for the States and Union territories quota.

Provided that the seat matrix for admission in any Deemed Universities shall be hundred percent for the all India quota and those Universities and Institutes which are already having more than fifteen percent all India quota seats shall continue to maintain that quota.

(v) The designated authority for counseling of eighty-five percent State and Union territory quota for admissions to under-graduate course in all Homoeopathic educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(vi) The counseling for all admissions to under-graduate course for seats under the all India quota as well as for all Homoeopathy educational institutions established by the Central Government and any Deemed Universities shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(vii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to under-graduate course in the said academic year.

(viii) No authority or institution shall admit any candidate to the under-graduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Central Council forthwith.

(ix) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.

(x) For foreign national candidates any other equivalent qualification to be approved by the Central Government may be allowed, and entrance examination for admission to under-graduate course namely the 'National Eligibility Entrance Test' (NEET) shall not be applicable for foreign national candidates.

(xi) A candidate shall be eligible for the competitive examination if he has passed any of the qualifying examinations specified under regulation 4:

Provided that a candidate who has appeared in the qualifying examination and the result of which has not been declared, he may be provisionally permitted to take up the competitive examination and in case of selection for admission to the B.H.M.S. Course, he shall not be admitted to that course until he fulfills the eligibility criteria under regulation 4.

3. In the said regulation, Annexure "C" and Annexure "D" shall be inserted after Annexure "B".

Annexure "C"

(Refer Regulation 4A)

A SCHEDULE is annexed regarding, "SPECIFIED DISABILITY" clause (zc) of section 2 of the Act, that states as under,

1. Physical disability

A. Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue;

(e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment—

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

- (i) total absence of sight; or
- (ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or
- (iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

- (i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200(Snellen) in the better eye with best possible corrections; or
- (ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

C. Hearing impairment -

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

D. "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behavior - "mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by sub normality of intelligence.

4. Disability caused due to -

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterized by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the Central Government.

Note : Any amendment to the Schedule to the RPWD Act, 2016, shall consequently stand amended in the above schedule.

Annexure "D"

(Refer Regulation 4A)

Guidelines regarding admission of students with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in B.H.M.S.

Note 1. The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on the 15th June, 2017.

2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)" notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on the 4th January, 2018.

3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.

4. The term 'Persons with Disabilities' (PwD) is to be used instead of the term 'Physically Handicapped' (PH)

Sl. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for BHMS Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for BHMS Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for BHMS Course
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability, including Specified Disabilities (a to f).	a. Leprosy cured person*	Less than 40% disability	40-80% disability	More than 80%
			b. Cerebral Palsy**			
			c. Dwarfism			
			d. Muscular Dystrophy			
			e. Acid attack victims			
			f. Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.			
		* Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at. ** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at. *** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for medical course				
		B. Visual Impairment (*)	a. Blindness	Less than 40% disability (i.e. Category '0(10%)', 'I(20%)' & 'II(30%)')	-	Equal to or More than 40% Disability (i.e. Category III and above)
			b. Low vision			
		C. Hearing Impairment @	a. Deaf	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
			b. Hard of hearing			

		<p>(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate Medical Education and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier etc.</p> <p>@ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate Medical Education and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices.</p> <p>In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.</p>			
		D. Speech & language disability \$	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	- Equal to or more than 40% Disability
		<p>\$ It is proposed that for admission to BHMS course the Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (Which will correspond to less than 40%) to be eligible to pursue the BHMS course. The individuals beyond this score will not be eligible for admission to the BHMS course.</p> <p>Persons with an Aphasia Quotient (AQ) upto 40% may be eligible to pursue BHMS course but beyond that they will neither be eligible to pursue the BHMS course nor will they have any reservation.</p>			
2.	Intellectual disability		a. Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia) #	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.	
				Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability - But selection will be based on the Learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/aids/ infrastructural changes by the Expert Panel
			b. Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of 40- 60% as per ISAA) where the individual is deemed fit for BHMS course by an expert panel	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability
					Equal to or more than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is deemed unfit for pursuing BHMS course by an expert

3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability	Equal to or more than 40% disability or if the person is deemed unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Parkinsonism	Disability		
		b. Blood Disorders	i. Haemophilia	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Thalassemia			
			iii. Sickle cell disease			
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	<p>Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech & Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability.</p> <p>Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India</p> $\frac{a + b (90 - a)}{90}$ <p>(where a= higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities)is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual</p>		

Dr. KUMAR VIVEKANAND, Registrar-Cum-Secy.

[ADVT. -III/4/Exty./100/19]

Note : The Principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, vide number 7-1/83/CCH, dated the 11th May, 1983 and were last amended vide notification number 12-13/2006-CCH(Pt.V) dated the 14th December, 2018.

[If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Homoeopathy (Degree Course) Amendment Regulations, 2019", the English version will be treated as final.]